भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
12.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2266 का उत्तर

सीमा क्षेत्र में रेल सुविधाएं

2266. श्री मियां अल्ताफ अहमद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ पहाड़ी और सीमावर्ती जिलों में रेलवे सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का रियासी कटरा से राजौरी तक लगभग 40 कि.मी. की रेल लाइन को प्राथमिकता के आधार पर निर्मित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रेल लाइन के निर्माण की समय-सीमा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेल परियोजनाएं क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत और निष्पादित की जाती हैं न कि राज्य/जिला/शहर-वार, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना जिसकी कुल लंबाई 272 कि.मी. है, के तहत जम्मू एवं कश्मीर में नई रेल लाइन का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

यूएसबीआरएल परियोजना जम्मू एवं कश्मीर के उधमपुर, रियासी, रामबन, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम और बारामूला जिलों को कवर करती है।

अखनूर और राजौरी के रास्ते जम्मू और पुंछ (223 कि.मी) के बीच नई लाइन का सर्वेक्षण किया गया था। परियोजना की लागत ₹22,771 करोड़ आंकी गई थी। इस परियोजना में यातायात का अनुमान कम है।

इसके अलावा, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आने वाले 5 सर्वेक्षण हाल ही में शुरू किए गए हैं:

1. **बारामूला-उरी नई लाइन (46 कि.मी.),**
2. **सोपोर-कुपवाड़ा नई लाइन (37 कि.मी.),**
3. **अनंतनाग-पहलगाम नई लाइन (78 कि.मी.),**
4. **अवंतीपुरा-शोपियां नई लाइन (28 कि.मी.) और**
5. **बनिहाल-बारामूला दोहरीकरण (118 कि.मी.)**

रेल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना भारतीय रेल की सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। रेल अवसंरचना परियोजनाओं को लाभप्रदता, अंतिम छोर संपर्कता, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों से संपर्कता सहित मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर शुरू किया जाता है जो चालू परियोजनाओं की दायिताओं, निधियों की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों पर निर्भर करता है।

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, लागत भागीदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा अपना लागत हिस्सा जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

******